(3)

774

# पटना उच्च न्यायालय में,
# अधिकारिता मामला सं० 1945/2022

1. अंकित कुमार शुक्ला, पिता–शिव किशोर शुक्ला, शुक्लान का पुरावां निवासी, नौधिया थाना–संग्रामगढ़, जिला– प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश–230141,

2 अरुण कुमार, पिता –राज कुमार, उमरिया निवासी, पिपरा, हलिया, पुलिस–हलिया, जिला–मिर्जापुर, उ.प्र.–231211।

3. प्रदीप मिश्रा, पिता–अनिल मिश्रा, ग्राम पादरहवा निवासी, पेस्ट– मझौना, थाना–कैंपियरगंज, जिला–गोरखपुर, उ.प.– 273165.

4. रजनीश कुमार मिश्रा, पिता–राम नारायण मिश्रा, ग्राम देवली (मिश्रपुरा) निवासी, पोस्ट –सलामतपुर, गाज़ीपुर, थाना– सलामतपुर, जिला–गाजीपुर, उ.प्र.–275201

5. प्रतीक सिंह, पिता–उदय नारायण सिंह, 257, सराय भारती निवासी, थाना–रसड़ा, जिला–बलिया, उ0प्र0–221712।

6. राहुल जोशी, पिता–आर.एन. जोशी, निवासी– 24/25 एमएमआईजी, कोशलपुरी कॉलोनी निवासी, फेज–1, थाना– रेकाबगंज, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश–224001

7. मनीष कुमार सिंह, पिता–रवींद्र सिंह, लौडाह दमा निवासी, महानगर, थाना– मेहनगर, जिला–आजमगढ़, उ.प.–276204.

8. आलोक मोहन यादव, पिता–राजदेव यादव, सियारामपुर टोला निवासी–, नंदपर, रामपुर, गोपालपुर, थाना– गुलथरिया, जिला– गोरखपुर, उ.प. 273007.

9. शुभम सिंह, पिता–महेंद्र प्रताप सिंह, पूरे बाबूरिहा निवासी, पेस्ट–छिवाल्हा, थाना– सरेनी, जिला–रायबरेली, उ.प्र.–229210

10. सोनू कुमार पांडे, पिता–मुन्नान पांडे, लीया निवासी, चंदौली, थाना–लीया, जिला–चन्दौली, उ.प्र.–202118

11. स्नेही कुमारी, पिता–धीरेंद्र कुमार सिन्हा, निवासी बीरपुर हॉस्पिटल रोड, शिव मंदिर के पास, वार्ड नंबर 1,बसंतपुर , थाना बीरपुर, जिला–सुपौल, बिहार।

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

अनुक्रम

7. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना,
8. उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. बिहार लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, पटना के माध्यम से
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
12. रॉबिन कुमार (अनारक्षित श्रेणी), क्रमांक सं० 225446, मेधा क्रम सं० 2949
13. ज्योति कुमारी (अनु० जाति श्रेणी), क्रमांक सं० 212173, मेधा क्रम सं० 2950
14. सुप्रिया कुमारी (अनु० जनजाति श्रेणी), क्रमांक सं० 210416, मेधा क्रम सं० 2678
15. मोहम्मद इरशाद अंसारी (अति पि०व० श्रेणी), क्रमांक सं० 224284, मेधा क्रम सं० 2945
16. प्रवीण कुमार (पिछड़ा वर्ग श्रेणी), क्रमांक सं० 210461, मेधा क्रम सं० 2934
17. अंकिता कुमारी (पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणी), क्रमांक सं० 212350, मेधा क्रम सं० 2847

प्रतिवादी/यों

---

**सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 13498/2021**

**के साथ**

---

1 सुधांशु कुमार, पिता–बाजिंद्र सिंह, ग्राम–कटौना, थाना–कटरीसराय, जिला– नालंदा
2. गौरव, पिता–लाल बाबू ठाकुर, निवासी– मां लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स निवासी, 403, ब्लॉक बी. आई.ए.एस. कॉलोनी, थाना– रूपसपुर, जिला– पटना
3. अंकित सिंह, पिता–श्रीराम सिंह, निवासी– रानीपुर निवासी, दिघवारा, थाना– दरियापुर, जिला– सारण
4. शुभम् गुप्ता, पिता–राधे श्याम गुप्ता, निवासी 605/1, कानपुर रेलवे लाइन के निकट, सी.पी. मिशन कंपाउंड निवासी, थाना– सिपरी, जिला– झांसी (उत्तर प्रदेश)
5. नीरज कुमार दास, पिता–चतुरानंद दास, निवासी– 19,गोपाल विहार कॉलोनी निवासी, थाना– सदर बाजार, जिला– आगरा (उत्तर प्रदेश)

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना,
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना
5. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. बिहार लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, पटना के माध्यम से,
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

12. सत्यम कुमार, पिता–श्री सुशील कुमार मंडल, ग्राम एवं पोस्ट–वाल्थी महेशपुर निवासी–, थाना– कार्सेला, जिला– कटिहार, पिन कोड–854101.
13. सुनील कुमार, पिता–श्री उमा चरण गुप्ता, मोहल्ला प्लस निवासी,पोस्ट–प्लस, थाना– शेखपुरा, जिला–शेखपुरा, पिन कोड–811105.
14. ऋषिकेश रंजन, पिता–श्री महेंद्र राम, चित्रगुप्तपुरी मणिपुर निवासी, वार्ड सं०–1, थाना–काजीमुहम्मदपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड–842001
15. गौरव कुमार, पिता–सुबोध कुमार चौरसिया, ग्राम एवं पोस्ट–मड़ैया निवासी, थाना– परबत्ता, जिला– खगड़िया, पिन कोड–851212.
16. सोनू, पिता–श्री जगदीश साहू, ग्राम सोहटा निवासी–, पोस्ट–गिरिधपट्टी, थाना–छातापुर, जिला–सुपौल, पिन कोड–852137

प्रतिवादी/यों

---

**सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6094/2022**

**के साथ**

---

1. शशांक शेखर सांडिल्य, पिता–अनंत नारायण तिवारी, निवासी ग्राम–परसिया निवासी, थाना–ब्रह्मपुर, जिला–बक्सर।
2. सुधांशु कुमार, पिता–बजिन्द्र सिंह, ग्राम–कटौना निवासी, थाना– कटरीसराय, जिला– नालंदा
3. राज कुमार, पिता–संजय कुमार सिंह, राणा प्रताप नगर निवासी, चास बोकारो, थाना– चास, जिला–बोकारो (झारखंड).

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार,
9. बिहार लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, पटना के माध्यम से।
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना,

प्रतिवादी/यों

---

**सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 3389/2023**

**के साथ**

---

नितेश कुमार, पिता–मदन मोहन कर्ण, मोहल्ला– वार्ड सं० 15 निवासी, बारा– पत्थर समस्तीपुर, थाना– समस्तीपुर मुफ्फसिल, जिला–समस्तीपुर.

याचिकाकर्ता / ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से,
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना
6. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार, पटना
7. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
8. उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. बिहार लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, पटना के माध्यम से
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव–सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
12. रॉबिन कुमार, (अनारक्षित श्रेणी), क्रमांक सं० 225446, मेधा क्रम सं. 2949

प्रतिवादी / यों

---

**उपस्थिति :**

(सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 1945 / 2022)

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता / ओं के लिए | : | श्री मुकेश कुमार |
| प्रतिवादी / ओं के लिए | : | श्री विकाश कुमार (एससी11) |
| बि.लो.से.आ. के लिए | : | श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री संजय पांडे, अधिवक्ता |
| | | श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता |
| | | श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता |

(सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 13498 / 2021)

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता / ओं के लिए | : | श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री भोला कुमार, अधिवक्ता |
| | | श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता |
| | | श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता |
| प्रतिवादी / प्रतिवादियों के लिए | : | श्री पी.के. वर्मा, एएजी–3 |
| | | श्री सुमन कुमार झा, एएजी–3 के सहायक सचिव |
| बि.लो.से.आ. के लिए | : | श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री संजय पांडे, अधिवक्ता |

| | | |
|---|---|---|
| | | श्री निशान कुमार झा, अधिवक्ता |
| (सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6094 / 2022) | | |
| याचिकाकर्ता / ओं के लिए | : | श्री मुकेश कुमार |
| प्रतिवादी के लिए | : | श्री विकाश कुमार (एससी11) |
| | | श्री सुशील कुमार, जीपी–22 |
| बि.लो.से.आ. के लिए | : | श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री संजय पांडे, अधिवक्ता |
| | | श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता |
| (सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या : 3389 / 2023 के लिए) | | |
| याचिकाकर्ता / ओं के लिए | : | श्री भोला कुमार, अधिवक्ता |
| प्रतिवादी / यों के लिए | : | श्री सुशील कुमार (जीपी 22) |
| | | श्री के. के. सिंह, अधिवक्ता |

---

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी**

**सीएवी का निर्णय**

**दिनांक : 07–02–2025**

1. समान विधि और तथ्यों से संबंधित प्रश्नों वाली इन सभी रिट याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की गई है और इस न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं का एक संयुक्त निर्णय द्वारा निपटारा करने के लिए निम्नलिखित निर्णय दिया है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे संक्षेप में 'बीपीएससी' कहा गया है) ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरिंग) के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 02 / 2017 जारी किया। सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत इस विज्ञापन के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन और योग्यता को सही पाए जाने पर, याचिकाकर्ताओं को क्रमांक आवंटित किए गए और प्रवेश पत्र जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं ने 15.09.2018 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में भाग लिया और 30.01.2019 को प्रकाशित परिणाम में उन्हें सफल घोषित किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने 27.03.2019 से 31.03.2019 के बीच आयोजित मुख्य परीक्षा में भाग लिया और 24.01.2021 को प्रकाशित परिणाम में उन्हें फिर से सफल घोषित किया गया। इसके बाद, 03.02.2021 को बिहार लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम और निर्देश प्रकाशित किए, जो 22.02.2021 से 13.03.2021 तक आयोजित होने वाली थी।

20.02.2021 को बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 'महत्वपूर्ण अन्य जानकारी' अधिसूचना शीर्षक से प्रकाशित की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह सूचित किया गया कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। साक्षात्कारकर्ताओं को निर्धारित प्रपत्र II में विभिन्न विभागों के लिए अपनी वरीयता भरकर जमा करनी थी, जो विभागवार उपलब्ध रिक्तियों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध था। दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना और उसके साथ संलग्न विभागीय रिक्तियों वाले प्रपत्र II का संक्षिप्त अवलोकन निम्नलिखित जानकारी देता है :–

i. अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म II में अपनी प्राथमिकता सूचित करना और साक्षात्कार के समय उसे जमा करना अनिवार्य था।

ii. किसी भी ऐसे विभाग के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में उम्मीदवार द्वारा कोई वरीयता नहीं बताई गई हो और उस विभाग का उक्त पद उसकी वरीयता के अनुसार योग्यता सूची में उससे नीचे के अगले उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जाएगा।

iii. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विभाग के संबंध में अपनी वरीयता का उल्लेख करने में विफल रहता है, तो भले ही उम्मीदवार को योग्यता सूची में रखा गया हो, उसे किसी भी विभाग में कोई पद/रिक्ति आवंटित नहीं की जाएगी, भले ही वह रिक्ति खाली रह जाए।

iv. भविष्य में वरीयता में संशोधन के लिए आवेदक द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार अपनी–अपनी निर्धारित तिथियों पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होकर अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं।

3. साक्षात्कार में याचिकाकर्ताओं ने पाया कि उनसे पूछे गए प्रश्न प्रपत्र II में उनके द्वारा इंगित पहली प्राथमिकता पर आधारित थे और याचिकाकर्ताओं के स्वयं के आकलन के अनुसार, उन्होंने साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन याचिकाकर्ताओं को उस समय गहरा सदमा लगा जब प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 14.07.2021 को प्रकाशित अंतिम परिणाम में उन्होंने पाया कि यह परिणाम केवल योग्यता के आधार पर तैयार किया गया था, न कि योग्यता सह विकल्प (वरीयता के आधार पर) के आधार पर, जैसा कि 20.02.2021 की अधिसूचना में अनिवार्य था।

4. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने पाया कि उनके नाम मेधा सूची में शामिल नहीं थे क्योंकि उनके कुल अंक अनारक्षित श्रेणी (477 अंक) के लिए निर्धारित कट–ऑफ अंकों के बराबर या उससे कम थे। यह कट–ऑफ अंक केवल योग्यता के आधार पर तैयार किया गया था, न कि योग्यता सह चयन के आधार पर। योग्यता सह चयन के आधार पर परिणाम तैयार न करने का कारण पूछे जाने पर, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (यांत्रिक अभियांत्रिकी) की नियुक्ति के लिए जारी किए गए एक अन्य विज्ञापन संख्या 03/2017 में उक्त विज्ञापन संख्या 03/2017 के अभ्यर्थियों से वरीयता नहीं मांगी गई थी, इसलिए, वर्तमान विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 02/2017) में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों से वरीयता मांगने के बावजूद, परिणाम योग्यता सूची के आधार पर प्रकाशित किए जा रहे थे, न कि योग्यता सह विकल्प के आधार पर, और विज्ञापन के लिए नोडल विभाग यानी पथ निर्माण विभाग को इसी रूप में भेजे जा रहे थे।

5. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग का तर्क अत्यंत बेतुका है क्योंकि विज्ञापन संख्या 03/2017, जो एक अलग पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित किया गया था और जिन 7 विभागों के लिए वर्तमान विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 02/2017) जारी किया गया था, उनमें से केवल 4 विभागों के लिए था, उसका वर्तमान विज्ञापन से कोई संबंध नहीं है। यह इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनों विज्ञापनों में शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताएँ अलग–अलग थीं और दोनों विज्ञापनों के लिए प्रारंभिक परीक्षाएँ, लिखित परीक्षाएँ और साक्षात्कार अलग–अलग तिथियों पर आयोजित किए गए थे और उनके परिणाम भी पूरी तरह से अलग–अलग तिथियों पर प्रकाशित किए गए थे। वास्तव में, विज्ञापन संख्या 03/2017 के लिए चयन प्रक्रिया 20.02.2021 की अधिसूचना (अनुलग्नक 3 श्रृंखला) द्वारा वर्तमान विज्ञापन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने से बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। परीक्षा/साक्षात्कार की तिथियों को दर्शाने वाला एक चार्ट उपलब्ध है, जो दो विज्ञापनों के तहत घोषित परिणामों को प्रस्तुत किया जा रहा है और

इस माननीय न्यायालय की सुविधा और कृपापूर्ण विचार के लिए :

| | विज्ञापन दिनांक 03/2017 | विज्ञापन दिनांक 02/2017 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक परीक्षा | 19.09.2018 | 15.09.2018 |
| पीटी का परिणाम | | 30.01.2019 |
| लिखित परीक्षा | 05.08.2019 से 09.08.2019 | 27.03.2019 से 31.03.2019 |
| लिखित परीक्षा का परिणाम | 12.05.2020 | 24.01.2021 |
| साक्षात्कार | 15.06.2020 से 19.06.2020 | 22.02.2021 से 13.03.2021 |
| अंतिम परिणाम | 20.06.2020 | 14.07.2021 |

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित श्रेणियों में विभागवार कट–ऑफ के बारे में अंधेरे में रखा गया है, जिसके आधार पर 20.02.2021 की अधिसूचना के अनुसार अंतिम परिणाम तैयार और प्रकाशित किए जाने चाहिए थे, जैसा कि दिनांक–20.02.2021 की अधिसूचना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था।

7. याचिकाकर्ता का निवेदन है कि विवादित अंतिम परिणाम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी ही अधिसूचना से विचलन का जो कारण बताया गया है, वह पूरी तरह से मनमाना, बेतुका और कानून की दृष्टि से अस्थिर है, क्योंकि सहायक अभियंता (यांत्रिक अभियांत्रिकी) के चयन के लिए जारी किए गए एक अन्य विज्ञापन, अर्थात् विज्ञापन संख्या 03/2017 में अपनाई गई प्रक्रिया का इस विज्ञापन से कोई संबंध नहीं है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा 13.09.2021 को अंतरिम आवेदन दायर किया गया था। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मामले की सुनवाई 23.08.2021 को स्थगित कर दी गई ताकि बिहार लोक सेवा आयोग इस मामले में विस्तृत प्रतिवाद हलफनामा दाखिल कर सके। इसके बाद, बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग, पटना, जो विज्ञापन संख्या 02/2017 के लिए नोडल विभाग है, ने लगभग 25.08.2021 को अपनी वेबसाइट पर एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें विभाग द्वारा योग्यता और पसंद के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया गया, जहां अभ्यर्थियों को उन सभी 7 विभागों के लिए अनिवार्य रूप से अपनी प्राथमिकता बतानी थी जिनके लिए मूल रूप से आवेदन भेजा गया था।

9. यह कि उपरोक्त अधिसूचना चयन प्रक्रिया में और बदलाव करती है, जिससे पेंशनभोगियों जैसे उन अभ्यर्थियों को नुकसान और हानि होती है जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे। यह कहा गया है कि दिनांक 20.02.

(266

2021 की अधिसूचना और उससे संलग्न प्रपत्र II के अनुसार, जो विज्ञापन के संबंध में जारी की गई थी, अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के चरण में ही अपनी वरीयता प्रस्तुत कर दी थी। उक्त अधिसूचना आज तक वापस नहीं ली गई है और इसे केवल इस आधार पर लागू नहीं किया गया कि किसी अन्य विज्ञापन के संबंध में ऐसी ही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। यह निवेदन किया जाता है कि यदि परिणाम निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रकाशित किए जाते, तो दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवार, जो वर्तमान परिणाम में मेधा सूची में स्थान नहीं पा सके हैं, उन्हें भी चयन का अवसर मिलेगा। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हुए उपरोक्त घटनाक्रमों को देखते हुए, याचिकाकर्ता रिट याचिका में किए गए कथनों में संशोधन चाहते हैं और याचिका के अनुच्छेद 18 के बाद अतिरिक्त कथन शामिल करना चाहते हैं, जिसमें ऊपर संक्षेप में उल्लिखित तर्क का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, इस अंतरिम आवेदन के माध्यम से रिट याचिका में यह भी जोड़ा गया है कि आरसीडी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और याचिकाकर्ताओं के सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर, 75 से अधिक मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों (एमआरसी) को उनकी संबंधित श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि उन्हें वरीयता क्रम में विभाग, अर्थात् सबसे पसंदीदा विभाग प्राप्त हो सके। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अनारक्षित श्रेणी/सामान्य श्रेणी के इन रिक्त पदों/पदों को आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों से भरना, जो याचिकाकर्ताओं से कम योग्य हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह सर्वविदित है कि कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वर्तमान विवादित एमआरसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, तो उनके सामान्य श्रेणी में उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रिक्त की गई सीटों को यदि अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाता है, तो कुल आरक्षण संभवतः सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50% से अधिक हो जाएगा, जो विज्ञापन संख्या 02/2017 पर लागू था। यह भी सर्वविदित है कि मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों (एमआरसी) के अपने–अपने वर्गों में सबसे पसंदीदा विभाग/पद/सेवा प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण के कारण उत्पन्न रिक्तियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। याचिकाकर्ता पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि यह प्रथम कारण से अस्थिर है, क्योंकि यह विज्ञापन संख्या 02/2017 के संबंध में प्रकाशित दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना में परिकल्पित चयन प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से विचलित होती है, और द्वितीय

अनुलग्नक

कारण से, क्योंकि यह मनमानी, अव्यवहारिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा 08.12.2021 को फिर से एक अंतरिम आवेदन 2 दायर किया गया। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि यदि परिणाम दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना के अनुसार ही प्रकाशित किए जाते, तो याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवार, जो वर्तमान विवादित परिणाम में मेधा सूची में स्थान नहीं पा सके, उन्हें भी चयन का अवसर मिलता। उदाहरण के लिए, यदि आरक्षित श्रेणी, जैसे अनुसूचित जाति श्रेणी का कोई उम्मीदवार, जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, यदि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को उसकी पहली वरीयता नहीं मिलती है, तो उसे अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में उसकी पहली वरीयता वाले विभाग के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, अनुसूचित जाति श्रेणी का अंतिम उम्मीदवार योग्यता सूची से बाहर हो जाएगा और अनारक्षित श्रेणी में एक रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिसे अनारक्षित श्रेणी के अगले उम्मीदवार द्वारा भरा जाना होगा, जो शायद योग्यता सूची में शामिल न हो पाया हो, अर्थात् याचिकाकर्ताओं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा।

11. बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विवादित परिणाम से असंतुष्ट हैं और वे बिहार लोक सेवा आयोग को परिणाम पुनः प्रकाशित करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध शिकायत बीपीएससी और उसके उन अधिकारियों से संबंधित है जिन्हें रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 9 से 11 के रूप में शामिल किया गया है। अतः, वे रिट याचिका में किए गए कथनों का विशिष्ट उत्तर देने के लिए सक्षम हैं।

12. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 07.02.2022 को अंतरिम आवेदन संख्या 3 दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि प्रतिवादी पथ निर्माण विभाग ने ज्ञापन संख्या 6252(एस) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से योग्यता और अभ्यर्थियों की पसंद के आधार पर विभागवार 1241 सफल अभ्यर्थियों को आवंटित करने का निर्णय लिया है, पूर्ववर्ती विवादित अधिसूचना (अनुलग्नक 8) के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर, सफल अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित किए गए थे।

13. आरसीडी द्वारा विभागों के आवंटन के कारण कुछ अनियमितताएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे रोस्टर आरक्षण का उल्लंघन, कुछ विभागों में सीटों की संख्या में वृद्धि और कुछ विभागों में सीटों की संख्या में कमी। बिहार सरकार के आरसीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर 31.12.2021 को प्रकाशित विभाग आवंटन सूची के अनुसार, 122 मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपनी वरीयता क्रम में सबसे पसंदीदा विभाग प्राप्त करने के लिए अपनी–अपनी श्रेणियों में स्थानांतरित हो गए हैं। लेकिन मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के स्थानांतरण के कारण मेडटोनिक्स रिजर्व में रिक्तियां उन अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरी गई हैं, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, जो संयुक्त योग्यता/सामान्य योग्यता सूची में अगले स्थान पर हैं, अर्थात् याचिकाकर्ता। उपरोक्त स्थानांतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप है। अतः, विज्ञापन संख्या 02/2017 के अनुसार आयु–वर्ग श्रेणी में दर्शाई गई रिक्तियों को याचिकाकर्ताओं और आयु–वर्ग श्रेणी के अन्य समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए, जो संयुक्त योग्यता/सामान्य योग्यता सूची में अगले स्थान पर हैं, अर्थात् याचिकाकर्ताओं द्वारा। इस समय, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के संज्ञान में यह लाना उचित समझा कि मेधावी अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए नियुक्ति के संबंध में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमेश राम मामले में दिए गए फैसले में पहले ही तय हो चुका है, जो 2010 (7) एससीसी 234 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 39 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है :–

> "एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, वह यह है कि इस न्यायालय के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी उच्च वरीयता के अनुसार आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और सामान्य श्रेणी में उनके द्वारा खाली की गई सीटों को अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को

आवंटित किया जाता है, तो कुल आरक्षण संभवतः सभी उपलब्ध पदों के 50% से अधिक हो सकता है।''

14. **रमेश राम** (उपरोक्त) के पैरा–42 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो नियम–16(2) का लाभ उठाते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित किए जाते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। इसलिए, मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य पूल में खाली की गई सीटें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। यही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है, क्योंकि मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा खाली की गई इन सामान्य श्रेणी की सीटों को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित करने से कुल आरक्षण उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50% से अधिक हो जाएगा।

15. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने 07.01.2022 को पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव और 08.01.2022 को बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को अभ्यावेदन दिया है, जिसमें मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के स्थानांतरण के कारण रिक्त यूआर वर्ग की सीटों को संयुक्त योग्यता/सामान्य योग्यता सूची में अगले स्थान पर आने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (अर्थात याचिकाकर्ताओं) से भरने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा उनके अभ्यावेदन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

16. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 01.02.2022 को एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि लिखित (मुख्य) परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के बाद, आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कार्यक्रम और निर्देश प्रकाशित किए। साक्षात्कार 22.02.2021 से 19.04.2021 तक और फिर 25.06.2021 से 27.06.2021 तक आयोजित किए गए। इसमें आगे कहा गया है कि आयोग ने 20.02.2021 को पुनः शुद्धिपत्र प्रकाशित किया और पदों की संख्या घटाकर 1257 कर दी गई। आयोग ने दिनांकित नोटिस के माध्यम से यह जानकारी दी, दिनांक–20.02.2021 को अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभिन्न विभागों के लिए वरीयता हेतु प्रपत्र II भरने के लिए सूचित किया गया था। यह भी बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 के अंतर्गत प्राप्त रिक्तियों को देखते हुए अभ्यर्थियों से 7 विभागों के लिए

वरीयताएँ माँगी गई थीं। आगे यह भी कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 03/2017 के अंतर्गत, जो सहायक अभियंता (यांत्रिक) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 02/2017 के साथ प्रकाशित किया गया था, 4 विभागों से रिक्तियाँ प्राप्त हुई थीं, लेकिन इन विभागों के लिए अभ्यर्थियों से कोई वरीयताएँ नहीं माँगी गईं। इसलिए, आयोग ने 07.07.2021 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची को विभाग आवंटन के बिना पथ निर्माण विभाग को भेजने का अंतिम परिणाम निर्धारित किया गया है।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि आयोग ने 20.02.2021 की अधिसूचना केवल चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रकाशित की थी। आयोग का कभी भी वरीयता के आधार पर अंतिम परिणाम प्रकाशित करने का इरादा नहीं था। इसलिए, अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रकाशित किया गया था। आयोग ने विज्ञापन संख्या 03/2017 और विज्ञापन संख्या 04/2017 में सहायक की नियुक्ति के लिए भी अंतिम परिणाम प्रकाशित किया था। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता, यांत्रिक और सिविल विभागों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः सहायक अभियंता पदों के लिए सिफारिशें भेजी गई हैं। वास्तव में, आयोग ने सहायक अभियंता की नियुक्ति के लिए किसी भी विज्ञापन के तहत वरीयता के आधार पर अंतिम योग्यता सूची कभी प्रकाशित नहीं की। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक समझा कि इससे पहले भी आयोग ने पत्र संख्या 166 दिनांक 23.09.2013 के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2011 में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सिफारिशें पथ निर्माण विभाग को भेजी थीं, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर विभागों का आवंटन नहीं किया गया था।

राज्य की ओर से तारीख 19.05.2022 को प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया।

18. प्रतिवादी के विद्वान अपर महाधिवक्ता ने दलील दी कि योग्यता और पसंद के आधार पर विभागों के आवंटन के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8499/2012 (सिविल संख्या 31979/2010 से उत्पन्न) आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य और अन्य के पैरा संख्या 21 और सिविल अपील संख्या

4310–4311/2010 (एसएलपी (सी) संख्या 13571–72/2008 से उत्पन्न) के पैरा संख्या 32 और 50 (1) ii) और (iv) में निर्धारित सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया गया था और इसके बाद इन बातों को ध्यान में रखते हुए, विभागों का आवंटन तदनुसार किया गया। इस प्रक्रिया में, योग्यता और विकल्पों के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों के कुछ उम्मीदवार जो अनारक्षित (खुली) श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी में कई पद खाली रह गए, क्योंकि आवंटन सफल अभ्यर्थियों की सूची तक ही सीमित था।

19. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दायर प्रतिवाद के जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से 08.03.2023 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रतिवाद के अनुच्छेद 4 के उत्तर में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी आयोग ने यह स्वीकार किया है कि आयोग राज्य सरकार के नियमों और विनियमों से बाध्य है। हालांकि, इस मामले में, प्रतिवादी आयोग बिहार राज्य के दिशानिर्देशों और नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) की 14.01.2022 की बैठक के कार्यवृत्त के खंड 2 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार के विधि विभाग की सिफारिश पर, प्रतिवादी आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग) द्वारा प्रपत्र II के माध्यम से दी गई वरीयता के आधार पर, बिहार लोक सेवा आयोग एई (सिविल) 02/2017 दिनांक 31.12.2021 की अंतिम आरसीडी आवंटन अधिसूचना में वरीयता का निर्णय लिया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग एई (सिविल) का परिणाम मामला, दिनांक 14.07.2021 और 24.08.2021 को योग्यता के आधार पर बिना वरीयता के चयनित 1241 छात्रों के लिए आरक्षण जारी किया गया था। यह निवेदन किया जाता है कि आरसीडी ने धारा 2 में उल्लिखित बिहार सरकार के विधि विभाग की सिफारिश का पालन किया था और फिर बिहार लोक सेवा आयोग ने भी प्रति–हलफनामे के अनुच्छेद संख्या 6 में उल्लिखित राज्य विनियमन का पालन किया था, तो फिर 20.02.2021 की बिहार लोक सेवा आयोग अधिसूचना द्वारा विज्ञापित आरक्षण सूची और आरसीडी द्वारा किए गए आवंटन में भिन्नता क्यों है? उन्होंने इस संबंध में आगे कहा कि आरसीडी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग परिणाम के आधार पर योग्यता को ध्यान में रखते हुए बिना वरीयता के किया गया आवंटन आरक्षण सूची का उल्लंघन है, जो 50% से अधिक आरक्षण है, और इससे मेधावी आरक्षित उम्मीदवार (एमआरसी) के स्थानांतरण के कारण वृद्धावस्था अनारक्षित श्रेणी में 122 रिक्त सीटें भी

सृजित हो गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के भारत संघ बनाम रमेश राम [2010 (7) एससीसी 234 में प्रकाशित] मामले में यह बात सर्वविदित है कि एमआरसी अभ्यर्थियों के अपने–अपने वर्गों में स्थानांतरण से उत्पन्न रिक्तियों को, जो उन्हें सबसे पसंदीदा विभाग/सेवा/पद प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, सामान्य पूल अभ्यर्थियों (अनारक्षित श्रेणी) द्वारा भरा जाएगा। उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा–39 में कहा है कि एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा की जानी आवश्यक है, वह यह है कि कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है। यदि एमआरसी अभ्यर्थियों को उनकी उच्च वरीयताओं के अनुसार आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और सामान्य श्रेणी में उनके द्वारा खाली की गई सीटों को अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाता है, तो कुल आरक्षण संभवतः उपलब्ध पदों के 50% से अधिक हो सकता है।

20. यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्णय, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमेश राम 2010 (7) एससीसी 234 में प्रकाशित, के पैरा–42 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह माना है कि एमआरसी अभ्यर्थियों को, जो नियम–16(2) का लाभ उठाते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित किए जाते हैं, कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा खाली की गई सीटें सामान्य पूल में उपलब्ध सीटों के बदले में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान है क्योंकि इन सामान्य श्रेणी की सीटों (एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा खाली की गई) को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित करने से कुल आरक्षण उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50% से अधिक हो जाएगा। प्रतिवाद हलफनामे के अनुच्छेद 11 में दिए गए कथनों के उत्तर में, यह दोहराया जाता है कि प्रतिवादी आयोग ने दिनांकित 14.07.2021 के अंतिम परिणाम से याचिकाकर्ताओं को त्रुटिपूर्ण रूप से बाहर कर दिया है। प्रतिवादी आयोग ने दिनांक 20.02.2021 की अपनी ही अधिसूचना अनुलग्नक 3, की घोर अवहेलना और उल्लंघन करते हुए अंतिम परिणाम तैयार किया है, क्योंकि अंतिम परिणाम केवल योग्यता अंकों के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि चयन प्रक्रिया की योजना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि अंतिम चयन योग्यता–सह–चयन के आधार पर होगा [दिनांक 20.

02.2021 की अधिसूचना]। इस प्रकार, प्रतिवादी आयोग की यह कार्रवाई न केवल सेवा कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि वचनबद्धता के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित है।

21. इस संबंध में आगे यह निवेदन किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 में कुल 719 आरक्षित वर्ग की सीटें विज्ञापित की गई थीं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। हालांकि, आरसीडी आवंटन अधिसूचना दिनांक–31.12.2021 के अनुसार अंततः चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 579 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे (अनुलग्नक–जी में नीचे दिए गए विभागों का विवरण है)।

| विभाग | बिहार लोक सेवा आयोग 02/2017 अधिसूचना सुधार पत्र दिनांकः 20.02. 2021 के अनुसार सीटें | आरसीडी आवंटन (31.12.2021) के अनुसार सीटें | विज्ञापित आरक्षण रोस्टर और आवंटित सीटों के बीच अंतर |
|---|---|---|---|
| | | | |
| योजना(अनारक्षित) | 135 | 45 | –90 |
| एमडब्ल्यूआरडी | 28 | 04 | –25 |
| डब्ल्यूआरडी | 196 | 170 | –26 |
| आरसीडी | 104 | 104 | 0 |
| पीएचईडी | 32 | 32 | 0 |
| बीसीडी | 54 | 54 | 0 |
| आरडब्ल्यूडी | 170 | 170 | 0 |
| कुल सीटें | 719 | 579 | –140 |

22. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि योजना एवं विकास विभाग में आरक्षित श्रेणी की 90 सीटें, मध्य एवं प्रजनन एवं विकास विभाग में 24 सीटें और जल संसाधन एवं प्रजनन एवं विकास विभाग में 26 सीटें रिक्त हैं। किसी भी श्रेणी के लिए कट–ऑफ अंक उस श्रेणी में विज्ञापित सीटों के अनुसार अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक होते हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में प्रतिवादी से प्रश्न उठाया है, "जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनारक्षित श्रेणी की सीटें रिक्त हैं, तो अनारक्षित श्रेणी के लिए कट–ऑफ अंक 477 कैसे हो सकते हैं?" इसके अलावा, विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि अनारक्षित श्रेणी की 122 रिक्त सीटों को योग्यता क्रम में अगले स्थान पर रहने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाता है, तो याचिकाकर्ता क्रमांक 1, श्री सुधांशु कुमार, जिनकी मेधा क्रमांक 503 है, और सभी याचिकाकर्ताओं का चयन हो जाएगा।

23. प्रतिउत्तर हलफनामे के अनुच्छेद 12 में दिए गए कथनों के उत्तर में कहा गया है कि आयोग कानून के अनुसार, चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान पहले से

विज्ञापित और अधिसूचित प्रक्रिया में एकतरफा परिवर्तन करना, वह भी बाहरी आधार पर, अनुमत नहीं है। यह दोहराया जाता है कि विज्ञापन संख्या 03/2017 सहायक अभियंता (यांत्रिक अभियांत्रिकी) की नियुक्ति से संबंधित है और पात्रता आवश्यकताएँ, परीक्षा तिथियाँ, रिक्तियों की संख्या आदि प्रश्नगत विज्ञापन संख्या 02/2017 से पूर्णतः भिन्न हैं। अतः, विज्ञापन संख्या 03/2017 से संबंधित कोई भी चूक या गलती विज्ञापन संख्या 02/2017 के संबंध में चयन प्रक्रिया को बदलने/संशोधित करने का वैध और कानूनी आधार नहीं हो सकती है और इस प्रकार दिनांक 07.07.2021 का संकल्प प्रति शपथ पत्र का अनुलग्नक डी, कानून की दृष्टि से गलत है और मान्य नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि रिक्तियाँ बनी रहेंगी क्योंकि कुल रिक्तियों की तुलना में कम अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को अन्य सफल अभ्यर्थियों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना, अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध चयनित/समायोजित किया जा सकता है।

24. पथ निर्माण विभाग की ओर से दिनांक 06.08.2024 को प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के संबंध में केवल एक नोडल विभाग है। पीएचईडी, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और लघु जल संसाधन विभाग (एमडब्लूआरडी) तथा कुछ अन्य कार्य विभागों के अंतर्गत आरसीडी को केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए चयनित अभ्यर्थियों के नामों को अलग–अलग रूप से सूचित करना और अग्रेषित करना होता है। 15.05.2024 को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया, जिसके अनुच्छेद 5 से 7 नीचे उद्धृत हैं :–

> "याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने यह प्रस्तुत किया है कि जहां तक उनकी जानकारी है, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता/पसंद के अनुसार किसी विशेष विभाग में नियुक्ति के समय प्रवास के माध्यम से एमआरसी और यूआर अभ्यर्थियों के बीच परस्पर क्रिया के कारण 122 या उससे अधिक रिक्तियां उत्पन्न हुईं। इस मामले को देखते हुए, न्यायालय की राय है कि राज्य सरकार को सहायक अभियंता (सिविल) सेवा में शेष रिक्तियों की वास्तविक संख्या

और उन रिक्तियों की संख्या बतानी चाहिए जिन पर विज्ञापन संख्या 02/2017 के आधार पर परीक्षा आयोजित की गई थी। रिक्तियों की संख्या की गणना करने के बाद, राज्य सरकार संशोधित कट–ऑफ अंक भी बताएगी। राज्य सरकार को (बिहार लोक सेवा आयोग) की विशेषज्ञता की सहायता लेने की स्वतंत्रता होगी।''

25. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं :–

26. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2017 के माध्यम से आयोजित चयन सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए था, जो विभिन्न कार्य विभागों द्वारा अलग–अलग रिक्तियों की मांग पर आधारित था, जैसे कि (i) आर.सी. डी. 236, (ii) पी.एच.ई.डी. 64, (iii) एम.डब्ल्यू.आर.डी.–31 (iv) डब्ल्यू.आर.डी.– 284 (v) बी.सी.डी.–122 (vi) आर.डब्ल्यू.डी.–250 (vii) योजना एवं विकास विभाग–270।

27. इस प्रकार, कुल रिक्तियों की संख्या, जिनके विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित विभागों के लिए 1257 नामों की सिफारिश की जानी थी।

28. बिहार लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1257 रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणीवार कुल 1241 अभ्यथियों के नामों की सिफारिश की, जिसमें 16 शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) अभ्यथियों की अनुपलब्धता का उल्लेख दिनांक 24.08.2021 को अपनी संशोधित सिफारिश के माध्यम से किया गया था। हालांकि, यह सिफारिश न तो विभागवार की गई और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रपत्र–11 में दी गई पसंद/वरीयता को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

29. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वे सभी विभाग जिन्होंने चयन और सिफारिश के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अलग–अलग अनुरोध प्रस्तुत किए थे, स्वतंत्र और पृथक विभाग हैं और सहायक अभियंता (सिविल) का पद उन सभी विभागों में अलग–अलग पदों के रूप में निर्धारित है।

30. चूंकि आरसीडी को नोडल विभाग बनाया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग की उक्त सिफारिश को सभी विभागों में आवंटन के लिए

आरसीडी को भेजा गया था। आरसीडी को केवल अनुशंसित अभ्यर्थियों को उनके संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए आवंटित करना था, लेकिन चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने व्यक्तिगत अभ्यर्थियों से योग्यता–सह–पसंद/वरीयता के आधार पर निर्णय लेने के बाद विभागवार नामों की सिफारिश नहीं की थी, जैसा कि अपेक्षित था, इसलिए आरसीडी को अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता–सह–पसंद/वरीयता के आधार पर विभाग आवंटन करना पड़ा।

31. यह बताना प्रासंगिक है कि कुल 703 अभ्यर्थियों की सिफारिश 719 अनारक्षित रिक्तियों (16 सार्वजनिक स्वास्थ्य रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं) के विरूद्ध की गई थी। अनारक्षित अभ्यर्थियों की इस 703 अभ्यर्थियों की सूची (अनुलग्नक–बी) में मेधावी आरक्षित श्रेणी (एमआरसी) के उम्मीदवार भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति की 147 रिक्तियों के विरुद्ध 147 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति की 4 रिक्तियों के विरुद्ध 4 अभ्यर्थियों, पूर्व–जनजाति (ईबीसी) की 230 रिक्तियों के विरुद्ध 230 अभ्यर्थियों, अति पिछड़ा वर्ग की 92 रिक्तियों के विरुद्ध 92 अभ्यर्थियों और पिछड़ा वर्ग महिला की 65 रिक्तियों के विरुद्ध 65 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी। स्पष्टतः, उपर्युक्त संख्याएँ ऊपर उल्लिखित 7 अलग–अलग विभागों से संबंधित रिक्तियों की समेकित संख्याएँ हैं।

32. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत योग्यता और पसंद/वरीयता के आधार पर विभाग का आवंटन करते समय, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मुकाबले एमआरसी (प्रतिबद्ध श्रेणी) की स्थिति पर भी विचार किया गया। तदनुसार, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में एमआरसी उम्मीदवार द्वारा दी गई विभाग की वरीयता को योग्यता सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर स्वीकार किया गया। ऐसा करते समय, अनारक्षित श्रेणी के 124 एमआरसी को उनके संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मुकाबले विभाग चुनने का विकल्प दिया गया। तदनुसार, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त एमआरसी द्वारा छोड़े गए विभाग प्राप्त हुए।

33. एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योग्यता–सह–पसंद/वरीयता के आधार पर विभाग आवंटन के बाद, सभी 1241 अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति दी गई। इन 1241 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वर्ष 2021–22 में ही जारी कर दिए गए थे और परिणामस्वरूप उन्होंने संबंधित विभागों में अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। इस प्रकार वास्तव में विज्ञापन संख्या 02/2017 के तहत सहायक अभियंता (सिविल)

के पद के लिए कोई रिक्ति नहीं बची है, सिवाय 16 सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यर्थियों के लिए, जिनकी अनुपलब्धता के कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई थी।

34. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार 1241 रिक्तियों के विरुद्ध 1241 अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा चुका है और विज्ञापन संख्या 02/2017 के अंतर्गत कोई और रिक्ति उपलब्ध नहीं है, सिवाय 16 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के, क्योंकि अनुपलब्धता के कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी उम्मीदवार का नाम अनुशंसित नहीं किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 के अंतर्गत कोई और रिक्ति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सभी 1241 अनुशंसित अभ्यर्थियों को 1241 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जा चुका है।

35. पथ निर्माण विभाग द्वारा 13.08.2024 को पूरक प्रति–हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें विद्वान वकील ने स्पष्ट किया कि विभाग का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था, जिसमें कुछ विसंगति पाई गई है। उदाहरण के लिए, पथ निर्माण विभाग में 236 रिक्तियों के विरुद्ध 259 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है, यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में समायोजन द्वारा इस विसंगति को दूर किया जाएगा।

36. ये सभी पक्षकारों के निवेदनों के बारे में हैं।

37. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों और अनारक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में ऊर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर अपना निवेदन किया, जो कि **भारत संघ बनाम रमेश राम और अन्य**, (2010) 7 एससीसी 234 में प्रतिपादित हैं। रमेश राम (उपरोक्त) के पैराग्राफ संख्या 32 में निम्नलिखित कहा गया है: –

> 32. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने और सं.लो.से.आ. परीक्षा उत्तीर्ण करने में स्पष्ट अंतर है, क्योंकि सं.लो.से.आ. परीक्षा विभिन्न सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। पहले मामले में, सभी सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का समान लाभ मिलता है। हालांकि, दूसरे मामले में,

(754

सफल अभ्यर्थियों को मिलने वाले लाभों में भिन्नता होती है क्योंकि वे अपनी पसंद की सेवा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब अभ्यर्थियों से उनकी प्राथमिकताएं पूछी जाती हैं, तो अधिकांश उम्मीदवार कम से कम पहली तीन सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में से एक का चयन करते है। अधिकांश उम्मीदवार आईएएस को पहली पसंद के रूप में चुनते हैं। इस संदर्भ में, एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को, सामान्य सूची के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध निम्न श्रेणी की सेवा में नियुक्त करके नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए, विशेषकर इसलिए कि यदि उन्होंने आरक्षित श्रेणी का लाभ उठाया होता, तो उन्हें उच्च वरीयता वाली सेवा प्राप्त होती। इस प्रकार की विसंगति को रोकने के स्पष्ट उद्देश्य से, नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि एमआरसी उम्मीदवार सामान्य कोटा या संबंधित आरक्षित श्रेणी कोटा में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र है।

38. इस प्रश्न पर कि क्या आरक्षित श्रेणी 3 के उम्मीदवार, जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया गया है, अर्थात् एमआरसी और जिन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची में रखा गया है, को सेवा आवंटन के समय आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माना जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रमेश राम** (उपरोक्त) में **केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस जो (1976) 2 एससीसी 310** में रिपोर्ट किया गया, पूर्व के निर्णय पर भरोसा जताया। एन. एम. थॉमस (उपरोक्त) का पैरा 26 इस प्रकार है :–

"26. प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति के संबंध में कोई विशेष रियायत

अनुमा

प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। टी. देवदासन बनाम भारत संघ (टी. देवदासन बनाम भारत संघ, एआईआर 1964 एससी 179) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया गया था। आरक्षित सीटों की जो संख्या भरी नहीं गई थी, वह इस प्रकार हैः– अगले वर्ष के लिए आरक्षित सीटों को आगे ले जाया जाता है। अगले वर्ष के लिए आरक्षित सीटों को 'आगे ले जाने' के आधार पर यह पाया गया कि इस प्रकार आरक्षित सीटें समानता को नष्ट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि 18 सीटें आरक्षित की जाती हैं और लगातार दो वर्षों तक आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं और तीसरे वर्ष में 100 रिक्तियां होती हैं, तो परिणाम यह होगा कि 100 रिक्तियों में से 54 आरक्षित सीटें भरी जाएंगी। इससे समानता नष्ट हो जाएगी। इसी आधार पर देवदासन मामले ख्टी. देवदासन बनाम भारत संघ, एआईआर 1964 एससी 179, में 'आगे ले जाने' के सिद्धांत को मान्य नहीं माना गया। एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य एआईआर 1963 एससी 649, में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया। यह कहा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इससे समानता सुनिश्चित होती है। आरक्षण संवैधानिक बाध्यता नहीं है, बल्कि इस न्यायालय के राजेंद्रन मामले (एआईआर 1968 एससी 507) के फैसले के अनुसार विवेकाधीन है।

39. रमेश राम (उपरोक्त) के अनुच्छेद 42 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया :–

"42. अतः, हमारा दृढ़ मत है कि नियम 16(2) का लाभ उठाने वाले और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित होने वाले एमआरसी अभ्यर्थियों को कुल

(252

आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के भाग के रूप में गिना जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य पूल में एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा खाली की गई सीटें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। अभ्यर्थियों के लिए यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान है क्योंकि सामान्य श्रेणी की इन सीटों (एमआरसी अभ्यर्थियों द्वारा खाली की गई) को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित करने से कुल आरक्षण उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50% से अधिक हो जाएगा। इसलिए, हमें एमआरसी अभ्यर्थियों के आरक्षित श्रेणी में जाने में कोई बाधा नहीं दिखती।

40. श्री राजेन्द्र नारायण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने निवेदन किया कि यदि प्रतिवादियों ने एमआरसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करने की नीति का पालन किया होता, तो विज्ञापित आरक्षण सूची और आवंटित सीटों के बीच 140 अभ्यर्थियों की रिक्ति होती, यदि इन 140 अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाता, तो सामान्य श्रेणी कोटा में कट–ऑफ अंक कम हो जाते और याचिकाकर्ताओं को सेवा में चयन का मौका मिल सकता था।

41. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि प्रपत्र–II के अंतर्गत अभ्यर्थियों को उन विभागों का चयन करने का निर्देश दिया गया था जिनके लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जानी चाहिए। यदि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की अनुशंसा नहीं भरता है, तो उसे किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रपत्र–II में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा, जो इस प्रकार है :–

महत्वपूर्णः उपर्युक्त सारणी में अधिमानता कोड एवं विभाग का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (X) कर दें। जिस

BJma

विभाग के पद/रिक्ति के लिए आपके द्वारा अधिमानता क्रम नहीं भरा जायेगा उस विभाग के पद/रिक्ति के लिए आपकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त विभाग का पद/रिक्ति मेधा क्रम में आपसे नीचे स्थित उम्मीदवार को उनके द्वारा दी गई अधिमानता के आधार पर आवंटित कर दिया जायगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपके द्वारा किसी भी विभाग के पद/रिक्ति के लिए अधिमानता नहीं अंकित की जाती है तो मेधा सूची में रहने एवं विभाग का पद/रिक्ति उपलब्ध रहने के बावजूद भी आपको विभाग का पद/रिक्ति आवंटित नहीं किया जायेगा।

42. अतः यह स्पष्ट है कि भर्ती का नियम सफल अभ्यर्थियों द्वारा विभाग की वरीयता दर्शाते हुए सभी पदों को भरने पर निर्भर था। यदि कोई उम्मीदवार कोई वरीयता नहीं देता या अपने विभाग की वरीयता देने में विफल रहता है, तो उस विभाग के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा और वह उम्मीदवारी योग्यता के आधार पर अगले उम्मीदवार को दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उम्मीदवार योग्यता के आधार पर चयनित भी हो जाता है, तो भी प्रपत्र II के तहत प्राथमिकता न देने के कारण उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, उत्तरदाताओं की प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना ही अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया। यह स्पष्ट रूप से सहायक अभियंता (सिविल) के पद के चयन के नियमों का घोर उल्लंघन है, जो चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्वीकार्य नहीं है।

43. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने 14 जुलाई, 2021 को प्रकाशित परिणाम (अनुलग्नक–4) का हवाला दिया, जो केवल योग्यता के आधार पर था और वरीयता को नजरअंदाज कर दिया गया था। भर्ती प्रक्रिया में अंतर्निहित खामी यहीं समाप्त नहीं हुई, बिहार लोक सेवा आयोग ने 14 जुलाई, 2021 को योग्यता के आधार पर नामों की सूची नोडल विभाग, अर्थात् पथ निर्माण विभाग को भेजी, लेकिन नोडल विभाग ने अनुलग्नक–7 के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया कि विभाग का

आवंटन अभ्यर्थियों की पसंद के आधार पर होगा। सभी योग्य अभ्यर्थियों को विभाग के लिए अपनी पसंद बतानी होगी। हालांकि उक्त अधिसूचना वापस नहीं ली गई, लेकिन इसे केवल इस आधार पर लागू नहीं किया गया कि अन्य विज्ञापन संख्या 3/2017 के संबंध में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

44. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रपत्र द्वितीय में निहित भर्ती प्रक्रिया का पालन न करना याचिकाकर्ताओं के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार, जिसने अनारक्षित श्रेणी में योग्यता प्राप्त कर ली है, यदि उसे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में अपनी पहली वरीयता नहीं मिलती है, तो उसे उसकी पहली वरीयता वाले विभाग के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, अनुसूचित जाति श्रेणी का अंतिम उम्मीदवार योग्यता सूची से बाहर हो जाएगा और अनारक्षित श्रेणी में रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिसे अनारक्षित श्रेणी के अगले उम्मीदवार द्वारा भरा जाना होगा, जो याचिकाकर्ताओं की तरह योग्यता सूची में स्थान पाने में सक्षम न हो। दूसरे शब्दों में, यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में अपनी योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है, लेकिन अपनी पसंद बताने पर उसे अनारक्षित श्रेणी का सफल उम्मीदवार नहीं माना जाता है, तो वह आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में अपनी पसंद बदल लेगा, लेकिन उसके द्वारा चुनी गई पसंद के लिए रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास ही रहेगी। यदि बिहार लोक सेवा आयोग ग्रुप ने योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर मेरिट सूची बनाई होती, तो अनारक्षित श्रेणी में रिक्तियां रह जाती, जिससे कट–ऑफ अंक में कमी आती।

45. उदाहरण के तौर पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिट याचिका के पृष्ठ 50 पर स्थित अनुलग्नक–6 का हवाला दिया है। अभ्यर्थियों में से एक, काजल कुमारी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जबकि उन्होंने कट–ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उक्त उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से थीं। उन्हें 511 अंक मिले जबकि कट–ऑफ अंक 510 था, लेकिन उन्हें इस आधार पर नियुक्त नहीं किया गया कि उन्होंने केवल बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक) के पद को प्राथमिकता दी थी। बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक) में चयन के लिए उन्हें पर्याप्त अंक नहीं मिले और इसलिए अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। यदि इस मामले में

योग्यता और विभाग की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता, तो चयन प्रक्रिया में भी यही स्थिति होती।

46. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पथ निर्माण विभाग द्वारा 13 अगस्त, 2024 को दायर किए गए पूरक प्रति–हलफनामे का हवाला देते हुए तर्क दिया है, जिसमें नोडल विभाग ने स्वीकार किया है कि विभाग का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था और पथ निर्माण विभाग में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं कि 236 रिक्तियों के मुकाबले 259 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है और सरकार द्वारा भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों में समायोजन करके इस विसंगति को दूर कर दिया गया है।

47. पथ निर्माण विभाग की ओर से दिया गया उपरोक्त कथन निःसंदेह निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। रिक्ति से अधिक मौजूदा नियुक्तियों को भविष्य की रिक्तियों से समायोजित नहीं किया जा सकता, इसका सीधा सा कारण यह है कि इससे भविष्य के अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होगा जो भविष्य में इस पद के लिए पात्र होगा। दूसरे, यह कथन इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भर्ती के नियमों का पालन नहीं किया गया और विज्ञापन संख्या 2/2017 के आधार पर आयोजित परीक्षा के कारण सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त या कम भर्तियां की गईं।

48. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 और 8 की ओर से 23 मई, 2022 को दायर किए गए प्रतिवाद हलफनामे के अनुच्छेद 11 का उल्लेख किया, उक्त प्रतिवाद हलफनामे के अनुच्छेद 11 और 12 इस प्रकार हैं :–

> "11. योग्यता और पसंद के आधार पर विभागों के आवंटन की प्रक्रिया में, माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 8499/2012 (सिविल संख्या 31979/2010 से उत्पन्न) आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य और अन्य के पैरा संख्या 21, सिविल अपील संख्या 4310–4311 वर्ष 2010 (एसएलपी (सी) संख्या 13571–72 वर्ष 2008 से उत्पन्न) के पैरा संख्या 32 और 50(1) (ii) और (iv) में दिए गए निर्णयों को

मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया गया, जिसके अनुसार विभागों पर विचार किया गया।"

12. दिए गए अभ्यास में, योग्यता और विकल्पों के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों के कुछ उम्मीदवार जो अनारक्षित (खुली) श्रेणी में अर्हता प्राप्त कर चुके थे, उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी में इतनी रिक्तियां शेष रह गईं, क्योंकि आवंटन सफल अभ्यर्थियों की सूची तक ही सीमित था।

49. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उपर्युक्त हलफनामे के बाद, प्रतिवादी यह नहीं कह सकते कि विचाराधीन चयन प्रक्रिया **रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यमूल और अन्य, (1996) 3 एससीसी 253** और **त्रिपुरारी शरण और अन्य बनाम रंजीत कुमार यादव और अन्य, (2018) 2 एससीसी 656** के सिद्धांत पर आधारित थी।

50. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पी. के. वर्मा ने निवेदन किया कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13498/2021 में पथ निर्माण विभाग द्वारा दायर प्रतिवाद को सभी रिट याचिकाओं में राज्य प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत मामला माना जाए। उपर्युक्त याचिकाओं के विरुद्ध पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत मामला 6 अगस्त, 2024 को दायर प्रतिवाद के अनुच्छेद 4 में दर्शाया गया है।

51. प्रति हलफनामे के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 2/2017 के तहत सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 14 जुलाई, 2021 को आयोजित चयन परीक्षा के अंतिम परिणाम को रद्द करने की प्रार्थना की है, इस आधार पर कि उक्त परिणाम योग्यता सह चयन के आधार पर प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके बाद, याचिका संख्या 01/2021 दाखिल करके, याचिकाकर्ताओं ने राहत में संशोधन की प्रार्थना की है और 25 अगस्त, 2021 के आसपास पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की प्रार्थना भी इसमें जोड़ी गई है। एक अन्य याचिका संख्या 02/2021 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने उन सभी अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने की मांग की है जो इस रिट याचिका के परिणाम से प्रभावित हो सकते हैं। इस संबंध में राज्य की ओर से यह निवेदन किया गया है कि पथ निर्माण विभाग

अनुमत

(आरसीडी) केवल लोक स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और कुछ अन्य निर्माण विभागों के संबंध में नोडल विभाग है। पथ निर्माण विभाग का यह दायित्व है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित चयनित अभ्यर्थियों के नाम इन विभागों को अलग–अलग सूचित करे और अग्रेषित करे।

52. प्रतिवादी द्वारा यह भी कहा गया है कि पथ निर्माण विभाग ने कहा है कि पहले कोई प्रति–शपथपत्र दाखिल नहीं किया जा सका, हालांकि न्यायालय के 15 मई, 2024 के आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा तैयार किया गया था और उस पर शपथ ली गई थी, लेकिन उसे दाखिल नहीं किया गया क्योंकि उसमें तथ्यों का वास्तविक विवरण नहीं था, जिसे उचित निर्णय के लिए न्यायालय के संज्ञान में लाना आवश्यक था। इससे पहले सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1945/2022 में एक तीसरा प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया था, लेकिन उसमें तथ्यों का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सका। 15 मई, 2024 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

> "1. याचिकाकर्ताओं की ओर से सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13498/2021 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1945/2022 में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना पर, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3389/2023 को भी उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं के साथ लिया जाता है, क्योंकि जिन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3389/2023 दायर की गई है, वे उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं के समान हैं।"
>
> 2. इसलिए, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3389/2023 को उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं के साथ लिया जाता है।
>
> 3. तीनों रिट याचिकाएं इस मुद्दे से संबंधित हैं कि क्या विज्ञापन संख्या 02/2017 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा) में चयनित अभ्यर्थियों की अनारक्षित श्रेणियों के कट–ऑफ अंकों में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि आरक्षण नीति के अनुसार, यदि किसी अनारक्षित उम्मीदवार का पद

आरक्षित मेधावी अभ्यर्थियों (एमआरसी) द्वारा ग्रहण किया जाता है और विभाग की वरीयताएँ प्रस्तुत करने के बाद, एमआरसी आरक्षित उम्मीदवार (आरसी) के पद पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में कट–ऑफ अंक में परिवर्तन होगा।

4. मामले की सुनवाई के दौरान, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1945/2022 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साही ने प्रतिवादी द्वारा दायर प्रति–हलफनामे के पैराग्राफ 12 का उल्लेख किया। क्रमांक 1 और 8, अर्थात् बिहार राज्य और उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना। प्रति–हलफनामे का अनुच्छेद 12 इस प्रकार है :–

"12. दिए गए अभ्यास में, योग्यता और विकल्पों के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों के कुछ उम्मीदवार जो अनारक्षित (खुली) श्रेणी में अर्हता प्राप्त कर चुके थे, उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी में इतनी रिक्तियां खाली रह गईं, क्योंकि आवंटन सफल अभ्यर्थियों की सूची तक ही सीमित था।"

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उनकी जानकारी है, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता/पसंद के अनुसार किसी विशेष विभाग में नियुक्ति के समय प्रवास के माध्यम से एम.आर.सी. और यू.आर. अभ्यर्थियों के परस्पर संबंध के कारण 122 या उससे अधिक रिक्तियाँ उत्पन्न हुईं।

6. इस मामले को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि राज्य सरकार को सहायक अभियंता (सिविल) की सेवा में शेष रिक्तियों की वास्तविक संख्या बतानी चाहिए, जिनकी परीक्षा और चयन विज्ञापन संख्या 2/2017 के आधार पर किया गया था।

7. रिक्तियों की इस संख्या की गणना करने के बाद, राज्य सरकार अनारक्षित वर्ग के लिए संशोधित कट–ऑफ अंक भी निर्धारित किया जाए। इस कट–ऑफ अंक का निर्धारण करते समय राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग) के विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र है।

8. राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह अवकाश समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर हलफनामे पर उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करे और मामले को आंशिक रूप से सुना हुआ माना जाए।

9. मामले की अंतिम सुनवाई 2 जुलाई, 2024 को तय की जाए।

53. उक्त आदेश के अनुपालन में, पथ निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है:–

"क. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2017 के माध्यम से आयोजित चयन सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए था, जो विभिन्न कार्य विभागों द्वारा अलग–अलग रिक्तियों की मांग पर आधारित था, जैसे कि (i) आर.सी.डी.–236, (ii) पी. एच.ई.डी.–64, (iii) एम.डब्ल्यू.आर.डी.–31 (iv) डब्ल्यू. आर.डी.–284, (v) बी.सी.डी.–122 (vi) आर.डब्ल्यू.डी. –250 और (vii) योजना एवं विकास विभाग–270।"

इस प्रकार, कुल रिक्तियों की संख्या, जिनके विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित विभागों के लिए 1257 नामों की सिफारिश की जानी थी, विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की सूची, अनुरोध करते समय विभागवार अलग–अलग बनाई गई थी।

(ख) बिहार लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुल 1257 के विरूद्ध 1241 श्रेणीवार अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश की। दिनांक 24.08. 2021 की संशोधित सिफारिश के अनुसार, 16 शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए, 1257 रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणीवार 1241 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। हालांकि, यह सिफारिश न तो विभागवार की गई और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रपत्र–II में दिए गए चयन/वरीयता विवरण को ध्यान में रखते हुए की गई।

(ग) वे सभी विभाग जिन्होंने चयन और अनुशंसा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अलग–अलग अनुरोध भेजे हैं, स्वतंत्र और पृथक विभाग हैं और सहायक अभियंता (सिविल) का संवर्ग उन प्रत्येक विभागों में पृथक संवर्ग है।

(घ) चूंकि आरसीडी को नोडल विभाग बनाया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग की उक्त सिफारिश को सभी विभागों में आवंटन के लिए आरसीडी को भेजा गया था। आरईडी को केवल अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए आवंटित करना था, लेकिन चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने योग्यता–सह–पसंद/वरीयता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से लिए गए अभ्यर्थियों में से विभागवार नामों की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए आरसीडी को

अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा किए गए चयन/वरीयता के आधार पर विभाग आवंटन के के लिए योग्यता–सह–पसंद/वरीयता की प्रक्रिया करनी थी।

(ङ) यह बताना प्रासंगिक है कि कुल 719 अनारक्षित रिक्तियों के मुकाबले 703 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी। (16 सार्वजनिक अवकाश की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं)। अनारक्षित अभ्यर्थियों की इस सूची (अनुलग्नक–ख) में मेधावी आरक्षित श्रेणी (एमआरसी) के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति की 147 रिक्तियों के लिए 147 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के लिए 4 अभ्यर्थियों, अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की 230 रिक्तियों के लिए 230 अभ्यर्थियों, पिछड़ा वर्ग (बीसी) की 92 रिक्तियों के लिए 92 अभ्यर्थियों और पिछड़ा वर्ग (बीसी महिला) की 65 रिक्तियों के लिए 65 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी। स्पष्टतः, उपर्युक्त संख्याएँ ऊपर उल्लिखित 7 अलग–अलग विभागों से संबंधित रिक्तियों की समेकित संख्याएँ हैं।

(च) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत योग्यता और पसंद/वरीयता के आधार पर विभाग का आवंटन करते समय, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में एमआरसी (मानद विभाग चयन) पर भी विचार किया गया। तदनुसार, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में एमआरसी उम्मीदवार द्वारा दी गई विभाग वरीयता को योग्यता सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर स्वीकार किया गया। ऐसा करते समय, अनारक्षित श्रेणी के 124 एमआरसी अभ्यर्थियों को उनकी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग का विकल्प दिया

(242

गया। तदनुसार, आरक्षित श्रेणी के उन संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त एमआरसी द्वारा छोड़े गए विभाग प्राप्त हुए।

(छ) एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योग्यता–सह–पसंद/वरीयता के आधार पर विभाग का आवंटन किए जाने के बाद, सभी 1241 अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति दी गई। इन 1241 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वर्ष 2021–22 में ही जारी कर दिए गए थे और परिणामस्वरूप उन्होंने संबंधित विभागों में अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। इस प्रकार वास्तव में विज्ञापन संख्या 02/2017 के अंतर्गत सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए कोई रिक्ति शेष नहीं है, सिवाय 16 रिक्तियों के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यर्थियों के लिए थीं और जिनकी अनुपलब्धता के कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई थी।

54. श्री वर्मा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुपात रमेश राम (उपरोक्त) का निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। इस मामले में परीक्षा केवल एक ही संवर्ग और सहायक अभियंता के पद के संबंध में आयोजित की गई थी, जिनका वेतनमान और दर्जा समान था। रमेश राम के निर्णय में यूपीएससी परीक्षा से संबंधित है, जिसमें विभिन्न संवर्गों के पदों को भरा जाना आवश्यक है, जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, संबद्ध केंद्रीय सेवाएं और यहां तक कि विभिन्न संवर्गों वाली ग्रुप–बी सेवाएं भी। ऐसी परीक्षा में, यदि वरीयता आधारित आवंटन और योग्यता सूची का वितरण एमआरसी के आधार पर और एमआरसी द्वारा रिक्त सीटों को अनारक्षित अभ्यर्थियों से भरने पर विचार नहीं किया जाता है, तो इस पर विचार करने पर, आरक्षण के सिद्धांतों के संबंध में एक उथल–पुथल भरी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

55. हालांकि, इस मामले में स्थिति अलग है। इसलिए, **रितेश आर. साह और त्रिपुरारी शरण** (दोनों उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात लागू किया जाना चाहिए।

56. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की खंडपीठ के एक अप्रकाशित निर्णय का भी हवाला दिया है, जो **एल.पी.ए. संख्या 519/2023, सिविल समीक्षा संख्या 21/2020 (कुमार गौरव सिंह और अन्य बनाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य)** में दिया गया था। उक्त मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने उपरोक्त सभी निर्णयों पर विचार किया और यह माना कि **रितेश आर. साह और त्रिपुरारी शरण** (दोनों उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होते हैं।

57. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **कुमार गौरव सिंह और अन्य बनाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य** (उपरोक्त) मामले में आरक्षण के प्रश्न और योग्यता से समझौता न करने के लिए इसे 50 प्रतिशत तक सीमित रखने के आदेश पर विचार किया था। मामले के तथ्यों के आधार पर इस सिद्धांत के लागू होने से उच्च योग्यता के कारण ही उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के जिले दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप अन्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित करके मेधावी सामान्य अभ्यर्थियों को रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा।

58. उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने **रितेश आर. साह** (उपरोक्त), **त्रिपुरारी शरण** (उपरोक्त), **देगा वेंकट हर्ष वर्धन बनाम अकुला वेंकट हर्षवर्धन** [(2019) 12 एससीसी 735] में दिए गए निर्णयों की प्रयोज्यता पर विचार किया था, जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है, और सिविल सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में **भारत संघ बनाम रमेश राम** (उपरोक्त) के बाद **आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य (2012) 13 एससीसी 516**, के निर्णयों की प्रयोज्यता पर विचार किया था।

59. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपर्युक्त मामले में डिवीजन बेंच के समक्ष उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या योग्यता के आधार पर चुने गए एमआरसी (मध्यवर्ती जनजातीय परिषद) रिक्तियों के परिणामस्वरूप मेधावी सामान्य अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए अपने चुने हुए जिले आरक्षित करने में सक्षम होंगे। निर्णय के अनुच्छेद 23 में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नानुसार कहा : –

> 23. यह नियुक्ति बिहार कृषि निदेशालय, पटना के अधीन कृषि समन्वयक के पद के लिए थी। विज्ञापन की एक प्रति उन दीवानी समीक्षा मामलों में

अनुलग्नक–1 के रूप में प्रस्तुत की गई है जिनसे अपीलें उत्पन्न हुई हैं। इसकी एक अनुवादित प्रति भी बार में प्रस्तुत की गई थी। विज्ञापन में पदों की संख्या दर्शाई गई है एवं विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों और आरक्षण कोटा का विवरण दिया गया है। विज्ञापन में विभिन्न जिलों में रिक्तियों का विवरण देते हुए प्रत्येक जिले में स्वीकृत कुल पदों की संख्या बताई गई है, जिनमें से आरक्षण कोटा और सामान्य कोटा को अलग–अलग दिखाया गया है। इसी संदर्भ में अभ्यर्थियों को 38 जिलों के संबंध में अपना विकल्प देना था। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो उम्मीदवार अपना विकल्प नहीं दे पाएंगे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जिला आवंटित किया जाएगा। अतः, रमेश राम (उपरोक्त) मामले की तरह, जिन सेवाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उनमें लाभों में कोई असमानता नहीं है। दिया गया विकल्प भी केवल एक संवर्ग के अंतर्गत आने वाली सेवा के लिए नहीं है, बल्कि विशेष रूप से जिले के आवंटन के उद्देश्य से किया जाता है। पदों के संबंध में कोई जिला संवर्ग नहीं है और विज्ञापन में दिए गए आरक्षण के तौर–तरीकों से यह संकेत नहीं मिलता कि चयनित जिलों के एमआरसी अभ्यर्थियों को आरक्षित पदों में समायोजित किया जाएगा, जिससे कम योग्य आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित किया जा सके।

60. खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया की भी जांच की। नियम, अर्थात् कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2014 के अनुसार, कृषि समन्वयक को प्रखंड स्तर से नीचे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देने वाले ऐसे कर्मियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे यह

अनुपमा

राज्य संवर्ग बन जाता है। खंडपीठ ने उक्त नियम और सीएसई नियम, 2005 के नियम 16 (2) के समान कोई नियम नहीं है।

61. वास्तव में, ऐसे नियम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियुक्ति जिस पद पर की जाती है, वह चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के समान ही है। जिला–वार विकल्प नियुक्त व्यक्ति को उसके गृह जिले या उसके निवास जिले के निकटवर्ती जिले में समायोजित किए जाने के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, कृषि समन्वयक संवर्ग नियमावली, 2014 में, एमआरसी को केवल संवर्ग के भीतर जिलों का विकल्प दिया गया था। सीएसई नियमावली, 2005 का नियम 16(2) यूपीएससी द्वारा विभिन्न संवर्गों जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और संघ के अधीन संबद्ध सिविल सेवाओं और अन्य सेवाओं के संबंध में आयोजित सामान्य परीक्षा से संबंधित है। इसलिए, यूपीएससी परीक्षा विभिन्न संवर्गों, विभिन्न वेतनमानों और भिन्न पदानुक्रमों के अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित की जाती है।

62. ऐसी परिस्थितियों में, रमेश राम (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत ऐसी परीक्षा में लागू होता है। हालांकि, कृषि समन्वयक के मामले में, उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को उसके वैकल्पिक जिले के लिए विचार किया जाएगा और इसी संदर्भ में, योग्यता के आधार पर कृषि समन्वयक के रूप में नियुक्त होने वाले एमआरसी अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्ति में उनके वैकल्पिक जिले में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे उन्हें राज्य की सेवा में कोई अतिरिक्त लाभ या कथित उच्च दर्जा प्राप्त नहीं होगा। यह एक सुविधा का नियम अधिक है ताकि योग्य उम्मीदवार को उसकी पसंद का जिला मिल सके, न कि ऐसा नियम जिससे योग्यता के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को अलग दर्जे वाली उच्च सेवा में नियुक्त किया जाए। यदि नियुक्ति की गई सेवा में समान परिस्थितियों के कारण आरक्षित रिक्ति को उसकी पसंद के जिले में आवंटित एमआरसी उम्मीदवार द्वारा भरा हुआ मान लिया जाता है, तो यह आरक्षित जिले से संबंधित एमआरसी उम्मीदवार की योग्यता को नकार देगा। अतः, जब किसी जिले में नियुक्ति के संबंध में प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर काल्पनिक समायोजन किया जाता है, तो यह समायोजन केवल एमआरसी उम्मीदवार के विरुद्ध ही होता है, और एमआरसी उम्मीदवार के स्थानांतरण से उत्पन्न रिक्ति के लिए कम योग्यता वाले आरक्षित उम्मीदवार पर भी विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त तर्क के आधार पर, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने पाया कि रामेह राम (उपरोक्त) में उल्लिखित सिद्धांत लागू नहीं होगा

और रितेश आर. साह और त्रिपुरारी शरण (दोनों उपरोक्त) में उल्लिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होगा।

63. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कुमार गौरव सिंह (उपरोक्त) के खंडपीठ के फैसले पर दृढ़तापूर्वक भरोसा जताया है। उनका कहना है कि परीक्षा सहायक अभियंता (सिविल) के एक संवर्ग के लिए आयोजित की गई थी। उनकी योग्यता के अनुसार, उन्हें केवल योग्यता के आधार पर एक विशेष विभाग में नियुक्ति का अवसर दिया गया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी एमआरसी का मानना है कि पथ निर्माण विभाग उनके लिए सबसे अधिक पसंदीदा विभाग है और उनकी योग्यता के अनुसार वह पथ निर्माण विभाग में नियुक्ति के हकदार हैं, तो उन्हें उस विभाग में नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि परिणामी रिक्ति अनारक्षित पूल में कम योग्य उम्मीदवार को दी जाएगी।

64. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, न्यायालय प्रारंभ में यह दर्ज करना चाहता है कि किसी भी प्रतिवादी पक्ष ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत तक विस्तारित होगा।

65. यह कहना अनावश्यक है कि **रितेश आर. साह** (उपरोक्त) और **त्रिपुरारी शरण** (उपरोक्त) दोनों ही मामले मेडिकल कॉलेजों में एमआरसीएस, आरक्षित अभ्यर्थियों और अनारक्षित अभ्यर्थियों के बीच हुए निर्णयों से संबंधित हैं। उपरोक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे कि किसी भी पक्ष को देश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से केवल कट–ऑफ अंक प्राप्त करने के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह विवाद एमआरसी द्वारा पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश से संबंधित है।

66. उपर्युक्त दोनों मामलों में, चयनित उम्मीदवार अलग–अलग इकाई या संवर्ग नहीं थे।

67. हालांकि, इस मामले में, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक इंजीनियर (सिविल) के बावजूद, उन्हें अलग–अलग विभागों के लिए चुना गया था, जो अलग–अलग संवर्ग बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, आरसीडी का संवर्ग जल संसाधन विभाग के संवर्ग के समान नहीं है। **रमेश राम** (उपरोक्त) मामले में, सं.लो.से.आ. परीक्षा विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोजित की गई थी, जो अलग–अलग संवर्ग बनाती हैं। इस

मामले में भी, अलग–अलग और जिला संवर्ग पदों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित की गई थी और इन मामलों के तथ्य **रितेश आर. साह या त्रिपुरारी शरण** (दोनों उपरोक्त) के मामलों से अलग हैं। अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संदर्भ में सरकार है।

72. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया करते समय, राज्य सरकार उन अभ्यर्थियों की सेवा में व्यवधान नहीं डालेगी जिन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले प्रकाशित चयन सूची के आधार पर विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।

**(बिबेक चौधरी, जे)**

एसकेएम/–

| | |
|---|---|
| **एएफआर/एनएएफआर** | एएफआर |
| **सीएवी तिथि** | 18.01.2025 |
| **अपलोड करने की तिथि** | 07.02.2025 |
| **संचरण तिथि** | एन/ए |